न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 67/2023 (GCMS No. 2023/71) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामवीर पुत्र हुकमसिंह जाति गूर्जर निवासी राडोली तहसील करौली जिला करौली।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली।

.........रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 27.06.2023 मुकदमा नं. 45/22 उनवानी रामवीर बनाम राजस्थान सरकार वसिलसिले आदेश न्यायालय तहसीलदार करौली दिनांक 24.11.2022 मु. नं. 679/21 उनवान सरकार बनाम रामवीर।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री राजेश सोगरवाल, वकील।

नि र्ण य दिनांक : 26.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 27.06.2023 एवं तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 24.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1627 रकवा 95.08 बीघा चारागाह में से 1 बीघा भूमि वांके ग्राम सैंगरपुरा तहसील करौली पर चांटी लगाकर समतल करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार करौली के समक्ष पेश की। तहसीलदार करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2022 से अपीलार्थी को 90 दिवस के सिविल कारावास एवं पैनल्टी व बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली के समक्ष पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.06.2023 द्वारा अपीलार्थी की अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दी। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टरा को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया।
3. अपीलांट के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट का कोई कब्जा व अतिक्रमण खसरा नम्बर 1627 पर नहीं है। ख.नं. 1627 आबादी भूमि खसरा नम्बर 1308 से सटा हुआ है। जिसका कोई सीमांकन मौके पर नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रंजिशवश रिपोर्ट धारा 91 एल.आर.एक्ट पेश की गई है। जबकि खसरा नम्बर 987/2, 111 व 241 चारागाह भूमि में किये गये अतिक्रमणों की अतिक्रमी व्यक्तियों के विरूद्ध उनसे साजिशकर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही मौका रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर हैं। पटवारी हल्का के बयान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिये गये है और न ही अपीलांट को जिरह का अवसर दिया गया। गांव के कुछ चंद लोगों द्वारा अपीलांट के विरूद्ध यह कार्यवाही रंजिशवश कराई गई है। अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने के बाद तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 24.11.2022 की पालना करने पर आमादा है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट का गिरफ्तारी वारन्ट पुलिस थाना सदर करौली को जारी किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नहीं की गई। अपीलांट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया गया है। दिनांक 24.11.2022 को रिपोर्ट मंगवाई गई और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 27.06.2023 एवं तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 24.11.2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।
5. विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली द्वारा अपीलांट को आराजी ख.नं. 1627 रकवा 1 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी को 90 दिवस सिविल कारावास एवं पैनल्टी बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर करौली में अपील पेश की। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपील अपीलांट खारिज कर दी।
6. जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि " अपीलार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1627 किस्म चारागाह के रकवा 1-00 बीघा पर चांटी लगवाकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

समतल करके अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ने वकालतन उपस्थित होकर जवाब पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। अपीलार्थी के विरूद्व 91 (6) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एवं अगिम कार्यवाही हेतु पत्रावली पुलिस उप अधीक्षक करौली को प्रेषित की गई लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर पत्रावली वापस भिजवा दी गई। अतिक्रमी का कथन है कि यदि सरकार अतिक्रमण मानती है तो अतिक्रमण हटाने को तैयार है परन्तु अभी तक अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया। अतिक्रमी स्वयं अपना अतिक्रमण उक्त भूमि पर स्वीकार कर रहा है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1627 किस्म चारागाह ग्राम सैंगरपुरा पर अतिक्रमण ना होने का कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है।" इस प्रकार अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में साबित हुआ है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में और न ही इस न्यायालय में अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे अपीलांट के राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना माना जा सके। अपीलांट द्वारा अभी तक अपना कब्जा नहीं हटाया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का धारा 91 एलआरएक्ट ग्राम सैंगरपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ख.नं. 1627 किस्म चारागाह भूमि है जिसमें रकवा 1–00 बीघा पर अपीलांट के नाजायज कब्जा की रिपोर्ट अंकित है। चारागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिस पर खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय तहसीलदार में अपीलांट ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया जिसमें उक्त ख.नं. 1627 पर उन्होंने काफी समय से उनका कब्जा होना मानते हुये अपना कब्जा हटाने का कथन किया है। जिसकी जॉच तहसीलदार द्वारा पुनः कराने पर दिनांक 21.02.2022 की रिपोर्ट में पुनः मौके पर कब्जा नहीं हटाने तथा अतिक्रमण कर चांटी लगाकर समतल करके होना बताया, खसरे का नजरी नक्शा एवं फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें अतिक्रमण पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। इसके बाद कब्जा हटाने के कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर दस्तावेज एवं मौके की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का आदेश दिनांक 24.11.2022 एवं जिला कलक्टर करौली का आदेश दिनांक 27.06.2023 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर